

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान- सभा

द्वादश (मॉनसून) सत्र

वर्ग- 01

निम्नलिखित अल्प सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 13 श्रावण, 1945 [श0] को
04 अगस्त, 2023 [ई0]

झारखण्ड विधान- सभा के आदेश- पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक-	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
30/8/23 ✓ "क" 04	अ0सू0- 30	श्री प्रदीप यादव	कार्रवाई करना।	वित्त	26.07.2023

नोट:- 'क' 04, दिनांक- 31.07.2023 को सदन द्वारा दिनांक- 04.08.2023 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक- 04 अगस्त, 2023 (ई0)

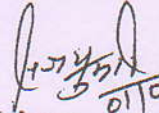
सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०३०-

-:2:-

ज्ञापांक संख्या प्रश्न- 01/2021.....²⁰⁴⁴...../वि0स0, राँची, दिनांक- 01/08/23

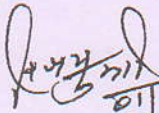
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01/08/2023
(संजय कुमार)

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या प्रश्न- 01/2021.....²⁰⁴⁴...../वि0स0, राँची, दिनांक-01/08/23

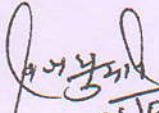
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के निजी सहायक को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


01/08/2023
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

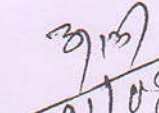
ज्ञापांक संख्या प्रश्न- 01/2021.....²⁰⁴⁴...../वि0स0, राँची, दिनांक- 01/08/23

प्रति:- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/ J.V.S TV शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान सभा, राँची, को सूचनार्थ प्रेषित।


01/08/2023
अवर सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

सुभाष


01/08/23



सत्यमेव जयते

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

द्वादश (मॉनसून) सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-01

शुक्रवार, दिनांक 13 श्रावण, 1945 (श0) को

04 अगस्त, 2023 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या- 01 (एक)

(1) वित्त विभाग-

01 (एक)

कुल योग:- एक (01)

कार्रवाई करना।

3.18

4. श्री प्रदीप यादव, क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

- 1- क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से अपने राज्य के लगभग 35 हजार करोड़ बकाया राशि एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के देय राशि की माँग बार-बार कर रही है;
- 2- क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के पास 35000 करोड़ से भी अधिक विभिन्न मदों में बकाया है, जिसके कारण राज्य का विकास बाधित है;
- 3- यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इस राशि के वसूली के लिए कोई ठोस अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेगी, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

**श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछे जाने वाले
अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-30 का उत्तर।**

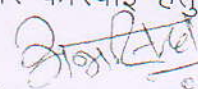
क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से अपने राज्य के लगभग 35 हजार करोड़ बकाया राशि एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के देय राशि की माँग बार-बार कर रही है ?	स्वीकारात्मक। राज्य सरकार का 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि केन्द्र सरकार एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों के पास बकाया है, जिसे प्राप्त करने हेतु विभागीय प्रयास के अलावा राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तरीय फोरम यथा; नीति आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की बैठक एवं नीति आयोग के शासी परिषद् के स्तर पर उठाया जाता रहा है। राज्य सरकार के प्रयास से भू-अधिग्रहण मद में 2532.55 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उक्त के अलावा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में लगभग 2200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है, जिसके लिए संबंधित विभागों द्वारा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों से पत्राचार किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार का केन्द्र सरकार के पास 35000 करोड़ रुपये से भी अधिक विभिन्न मदों में बकाया है, जिसके कारण राज्य का विकास बाधित है ?	राज्य सरकार का केन्द्र सरकार एवं केन्द्र सरकार के उपक्रमों के पास विभिन्न मदों में 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि बकाया है। राशि की प्राप्ति नहीं होने के कारण राज्य में चल रही विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति पर प्रभाव पड़ रहा है। राशि प्राप्त हो जाने से विकास की गति बढ़ जायेगी तथा राज्य सरकार का ऋण पर निर्भरता कम हो जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से इस राशि के वसूली के लिए कोई ठोस अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेगी; हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बकाये राशि की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। बकाये राशि की प्राप्ति हेतु विभागीय प्रयास के अलावा राज्य सरकार द्वारा उच्चस्तरीय फोरम यथा; नीति आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् बैठक एवं नीति आयोग के शासी परिषद् के समक्ष माँग की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा भी केन्द्र के समक्ष बकाया राशि की प्राप्ति हेतु आग्रह किया जाता रहा है।

**झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग**

ज्ञापांक : 10/वि०स०(4)-21/2023/.....518.....

राँची, दिनांक : 03.08.2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची के ज्ञाप सं० प्र०-1946/वि०स०, दिनांक-26.07.2023 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अखौरी शशांक सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग झारखण्ड राँची।